प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I में लेखापरीक्षित इकाइयों के विवरण, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रियाओं को समाहित किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्याकर्षणों को भी इस अध्याय में शामिल किया गया है।

3. अध्याय II इंदिरा आवास योजना तथा आर्सेनिक, फ्लोराईड एवं लौह प्रदूषक निवारण कार्यक्रम के निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। अध्याय III विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि में लेन–देन की लेखापरीक्षा को शामिल करता है। अध्याय IV में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के एकीकृत लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

4. 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जाँच से प्रकाश में आये मामलों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

5. सांविधिक निगमों, समितियों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रेक्षणों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

6. प्रतिवेदन में वैसे मामले भी शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2010–11 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामलों को भी उल्लेखित किया गया है जो पूर्ववर्त्ती वर्षों में पाए तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2010–11 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया गया है।